



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60116

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2772/2026

जुगराज सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजन कुमार पाल, राजीव उपाध्याय

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, अनुराग मिश्रा

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग मिश्रा उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से वाद संख्या 261/2026, जो मुकदमा अपराध संख्या 251/2025 से उद्भूत है, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस., 2023 और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- संदीपनघाट, जिला कौशाम्बी के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
 - i. आवेदक मृतक का ससुर है, जिसका विवाह आवेदक के छोटे बेटे के साथ हुआ था।
 - ii. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में आवेदक के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं।
 - iii. आवेदक लगभग 54 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
 - iv. मृतक का पति पहले से ही जेल में है, और आवेदक का मामला मृतक के पति के मामले से भिन्न है।
 - v. आवेदक को विवेचना के दौरान इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **26960/2025** में पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक और मृतक, अपने पति के साथ मिलकर एक ही घर में रहते थे। घटना से कुछ दिन पहले, आवेदक, उसकी पत्नी और मृतक के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पति ने कथित तौर पर मृतक के साथ मारपीट की थी, जिसका समर्थन ग्राम प्रधान पुष्पा देवी और अन्य गवाहों के बयानों से होता है। एक स्वतंत्र ग्रामीण रमेश सिंह के बयान से संकेत मिलता है कि घटना से कुछ दिन पहले जब मृतक के साथ मारपीट हुई थी, तब साक्षी और अन्य ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया था। अतः यह तर्क दिया गया कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले मृतक को क्रूरता का शिकार बनाया गया था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त उमा देवी (मृतक की सास) का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2445/2026 (उमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से खारिज किया जा चुका है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।
6. आवेदक मृतक का ससुर है और प्राथमिकी (FIR) में नामित है। मृतक का विवाह आवेदक के छोटे बेटे के साथ 16.02.2025 को हुआ था, और मृत्यु 6.11.2025 को हुई, अर्थात् विवाह के नौ महीने के भीतर। इसमें नकद राशि, एक मोटरसाइकिल और एक भैंस के रूप में दहेज की मांग के सामान्य आरोप हैं। विवेचना के दौरान, पुलिस ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जिन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है कि आवेदक और उसकी पत्नी, मृतक तथा उसके पति के साथ रहते थे और घटना से लगभग दो दिन पहले, आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों, अपनी पत्नी और मृतक के पति के साथ मिलकर मृतक के साथ मारपीट की थी। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त उमा देवी (मृतक की सास) का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2445/2026 (उमा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित अपने आदेश दिनांक 20.3.2026 के माध्यम से खारिज किया जा चुका है।
7. इस स्तर पर न्यायालय के लिए यह जांचना आवश्यक नहीं है कि उक्त मारपीट से शरीर पर कोई दृश्य चोटें आई थीं या नहीं; हालांकि, जिन स्वतंत्र ग्रामीणों ने विवाद में हस्तक्षेप किया था, उन्होंने एफ.आई.आर. में लगाए गए क्रूरता के आरोपों की पुष्टि की है।
8. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"